POLICE COMMISSIONERATE

GAUTAM BUDH NAGAR

सराहनीय कार्य /प्रेस विज्ञप्ति - दिनाकं 30.11.2025

1. थाना सेक्टर-39 पुलिस द्वारा एक वाहन चोर गिरफ्तार, कब्जे से चोरी का 01 ई-रिक्शा व अवैध शस्त्र बरामद।

कार्यवाही का विवरण-- दिनांक **30.11.2025** को **थाना सेक्टर-39 पुलिस** द्वारा मैनुअल इंटेलिजेंस व गोनपीय सूचना की सहायता से ई-रिक्शा वाहन चोरी करने वाला अभियुक्त रूपा हलदर पुत्र स्व0 बादल हलदर को थाना सेक्टर-39 क्षेत्रांतर्गत छलैरा कट के पास से **गिरफ्तार** किया गया है। अभियुक्त के कब्जे से चोरी का 01 ई-रिक्शा व 01 तमंचा .315 बोर बरामद किया गया है।

अपराध करने का तरीका/ पूछताछ का विवरण-- पूछताछ के दौरान अभियुक्त रूपा हलदर ने स्वीकार किया कि वह अपने साथी प्रदीप सरकार के साथ मिलकर ई-रिक्शा चोरी की घटनाओं को अंजाम देता था। अभियुक्तगण चोरी किए गए ई-रिक्शों को सुनसान स्थानों पर छिपाकर रखते थे तथा उनकी बैटरियां निकालकर राहगीरों को सस्ते दामों में बेच देते थे। मौका मिलने पर वे ई-रिक्शा भी कम कीमत पर बेच दिया करते थे। पकड़े जाने के भय से लोगों को डराने-धमकाने हेतु अपने पास अवैध तमंचा रखते थे। अभियुक्त के साथी प्रदीप सरकार को दिनांक 27.11.2025 को गिरफ्तार कर जेल भेजा जा चुका है।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण-- रूपा हलदर पुत्र स्व0 बादल हलदर निवासी ग्राम बुनियादपुर, थाना बंसीहारी, दक्षिणी दिनाजपुर (पं. बंगाल) वर्तमान पता ग्राम छलैरा, थाना सेक्टर-39, गौतमबुद्धनगर, उम्र लगभग 35 वर्ष।

पंजीकृत अभियोग व आपराधिक इतिहास का विवरण--

1. मु0अ0सं0 598/2025 – धारा 317(2), 317(4), 317(5) बीएनएस एवं 3/25 आर्म्स एक्ट, थाना सेक्टर-39 नोएडा, गौतमबुद्धनगर।
2. मु0अ0सं0 606/2025 – धारा 317(5) बीएनएस एवं 3/25 आर्म्स एक्ट, थाना सेक्टर-39 नोएडा, गौतमबुद्धनगर।
3. मु0अ0सं0 503/2025 – धारा 303(2) बीएनएस, थाना फेस-1 नोएडा, गौतमबुद्धनगर।
4. मु0अ0सं0 382/2023 – धारा 8/20 एनडीपीएस एक्ट, थाना सेक्टर-39 नोएडा, गौतमबुद्धनगर।

बरामदगी का विवरण--

1. ई-रिक्शा, रजि0 नं0 UP16LT4929
2. 01 तमंचा .315 बोर

2. थाना जारचा पुलिस द्वारा हर्ष फायरिंग करने वाले 02 अभियुक्त गिरफ्तार, कब्जे से घटना में प्रयुक्त 01 लाइसेंसी पिस्टल व 01 अवैध शस्त्र बरामद।

कार्यवाही/ घटना का संक्षिप्त विवरण-- दिनांक **30.11.2025** को **थाना जारचा** क्षेत्र के अंतर्गत ग्राम नगला चमरू में शादी में बारात चढ़त के दौरान हर्ष फायरिंग में एक बच्चे को गोली लगने की सूचना प्राप्त हुई। प्राप्त सूचना पर त्वरित कार्रवाई करते हुए स्थानीय पुलिस मौके पर पहुंची व घायल बच्चे को उपचार हेतु अस्पताल भेजा गया। वादी द्वारा दी गई तहरीर के आधार पर तत्काल अभियोग पंजीकृत करते हुए 02 अभियुक्त 1. अभिषेक पुत्र बिजेन्द्र गुर्जर कसाना, 2. ईशू कसाना पुत्र अशोक को **गिरफ्तार** किया गया। अभियुक्त अभिषेक के कब्जे से घटना में प्रयुक्त 01 लाइसेंसी पिस्टल मय 01 खोखा कारतूस व 02 जिंदा कारतूस व अभियुक्त ईशू कसाना के कब्जे से 01 अवैध तमंचा व नाल में फँसा हुआ 01 कारतूस .315 बोर बरामद किया गया है।

घटना में प्रयुक्त पिस्टल शादी में निक्की पुत्र अमर सिंह द्वारा लाई गई थी। पिस्टल का लाइसेंस निक्की के पिता अमर सिंह के नाम पर है। उक्त पिस्टल को निक्की अपने साथ लेकर आया था और उसने फायरिंग करने के लिए इसे अभिषेक को दिया। अभिषेक द्वारा की गई फायरिंग के दौरान बच्चे को गोली लग गई। अभियुक्त निक्की की गिरफ्तारी के प्रयास जारी है।

गिरफ्तार अभियुक्तों का विवरण--

1. अभिषेक पुत्र बिजेन्द्र गुर्जर कसाना निवासी ग्राम जावली, थाना टीला मोड, गाजियाबाद, उम्र 27 वर्ष।2. ईशू कसाना पुत्र अशोक निवासी ग्राम जावली, थाना टीला मोड, गाजियाबाद, उम्र 24 वर्ष।

पंजीकृत अभियोग का विवरण--

मु0अ0सं0- 208/2025 धारा 109(1) बीएनएस व 3/25/27 आर्म्स एक्ट, थाना जारचा, गौतमबुद्धनगर।

अभियुक्त अभिषेक का आपराधिक इतिहास--

1. मु0अ0सं0 433/22 धारा 336/352/427 भादवि, थाना टीला मोड, गाजियाबाद।
2. मु0अ0सं0 741/23 धारा 147/148/149/307/323/325/504/506 भादवि, थाना टीला मोड, गाजियाबाद।
3. मु0अ0सं0 051/25 धारा 115(2)/281/324(4)/324(5) बीएनएस, थाना टीला मोड, गाजियाबाद।

बरामदगी का विवरण--

1. घटना में प्रयुक्त 01 लाइसेंसी पिस्टल मय 01 खोखा कारतूस व 02 जिंदा कारतूस
2. 01 अवैध तमंचा व नाल में फँसा हुआ 01 कारतूस .315 बोर